(प्रपत्र–13)

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने के कारण का प्रमाण–पत्र

समरेंखण नं0	प्रभावित वन भूमि (है0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)	अन्य कारण (एच0पी0 बैण्ड आदि)
समरेंखण–1	1.6100 है0	206	4.00	–
समरेंखण–2	1.9600 है0	428	4.500	–

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
लांघा रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

(प्रपत्र–13(a)

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई– 4.00 किमी0)

वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। सरेखण – 1 एंव समरेंखण–2 निम्नलिखित तुलनात्मक विवरण के उपरान्त समरेंखण–1 को तकनीकी, पर्यावरणीय, भूगर्भिय एंव मितव्ययी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। जिस कारण समरेंखण–2 को निरस्त कर दिया गया एंव समरेंखण–1 को स्वीकार किया गया। जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 स0	विवरण	समरेंखण–1	समरेंखण–2
1	तकनीकी दृष्टिकोण से	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 आती है।	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.500 किमी0 आती है समरेखंण 1 की तुलना में इस समरेखंण में अधिक वन भूमि की आवश्यकता होगी।
2	भूगर्भिय आख्या के अनुसार	इस समरेंखण को भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर उपयुक्त पाया गया। भू–वैज्ञानिक दृष्टि से मार्ग ज्यादातर कठोर चट्टान से होकर गुजरता है। जिससे मलवा सडक मार्ग निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। जिस कारण मलवा वनभूमि में नही गिरेगा एंव भविष्य में स्लिप जोन बनने की सम्भावना भी कम होगी।	इस समरेंखण में भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर 2–3 स्थानों पर भू–धसाव होने ही आशंका व्यक्त की गई जिस कारण यह समरेंखण उपयुक्त नही पाया गया।
3	वन एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से	इस समरेंखण में न्यूनतम कुल 1.6100 है0 भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें आरक्षित वन भूमि मात्र 1.3895 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.2205 है0 प्रभावित हो रही हैं एंव विभिन्न प्राजाति 206 वृक्ष प्रभावित हो रहें है।	इस समरेंखण में न्यूनतम कुल 1.9600 है0 भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें आरक्षित वन भूमि मात्र 1.7325 है0 सिविल सोयम भूमि 0.2275 है0 प्रभावित हो रही हैं एंव विभिन्न प्राजाति 428 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। जो कि अधिक होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नही है।
4	सामाजिक दृष्टिकोण	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 होने के कारण समरेंखण–2 की अपेक्षाकृत कम है। जिससे स्थानीय निवासियों के समय की बचत होगी तथा वह अपने उपचार हेतु एंव कृषि उपज को कम समय व धन में शहर तक ले जा सकेगें। इस समरेंखण से समस्त ग्रामवासी एंव जनप्रतिनिधि सहमत है। (सहमति पत्र संलग्न)	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.500 किमी0 होने के कारण समरेंखण–1 की अपेक्षाकृत अधिक है। जिससे स्थानीय निवासियों को अपने उपचार हेतु एंव कृषि उपज को शहर तक ले जाने में अधिक समय व धन व्यय होगा। इस समरेंखण से समस्त ग्रामवासी एंव जनप्रतिनिधि सहमत नही है।
5	मित्तव्ययी दृष्टिकोण	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 आती है, एंव लागत 404.00 लाख आती है। जो कि समरेंखण–2 की अपेक्षा कम है।	इस समरेंखण में सडक मार्ग की लम्बाई 4.500 कि0मी0 आती है, एंव लागत 454.50 लाख आती है। जो कि समरेंखण प्रथम की अपेक्षा अधिक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
लांघा रेंज, लांघा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।